भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 947

मंगलवार, 27 जुलाई, 2021/05 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

देश में चिकित्सा पर्यटन का विकास

947. श्री भास्कर राव नेक्कांतिः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिकित्सा पर्यटन के संबंध में निजी चिकित्सा क्षेत्र के विनियमन के लिए कोई नीतियां मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य पर्यटक सेवा प्रदाताओं और चिकित्सा पर्यटक सेवा प्रदाताओं को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कोविड-19 केंद्रित उपाय किए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): भारत में चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित एजेंसी के माध्यम से भारत को चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक मजबूत ढांचा और तालमेल बनाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति का एक मसौदा और रोडमैप तैयार किया गया है। दस्तावेज़ को अधिक व्यापक बनाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप के मसौदे पर अभिज्ञात केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और उद्योग हितधारकों से प्रतिक्रिया/टिप्पणियां/सुझाव मंगवाए हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने भारत को एक चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो निम्न हैं:

i. माननीय मंत्री (पर्यटन) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन बोर्ड का गठन चिकित्सा पर्यटन, निरोगता पर्यटन एवं योग, आयुर्वेद पर्यटन और आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) में समाविष्ट भारतीय चिकित्सा प्रणाली के किसी अन्य स्वरूप के संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट संस्थागत कार्यढांचा प्रदान करने हेतु किया गया है। यह बोर्ड एक ऐसे समावेशी संगठन के रूप में कार्य करता है जो व्यवस्थित तरीके से पर्यटन के इस वर्ग का संवर्धन करता है।

ii. मंत्रालय द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रोशर, सीडी और अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है और इसे लक्षित बाजारों में प्रचार के लिए व्यापक रूप से वितरित और परिचालित किया गया है।

iii. विश्व यात्रा मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन, अरेबियन यात्रा मार्ट आदि जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है।

iv. 'मेडिकल वीजा' की शुरूआत की गयी है, जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है। 166 देशों के लिए 'ई-मेडिकल वीजा' भी शुरू किया गया है।

v. पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा/पर्यटन सेवा प्रदाताओं और एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, निरोगता सम्मेलनों, निरोगता मेलों और संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले चार वर्षों के लिए एमडीए योजना के तहत निरोगता पर्यटक सेवा प्रदाताओं तथा चिकित्सा पर्यटक सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई एमडीए/वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	राशि (रु में)
2017-18	37,75,000/-
2018-19	17,20,499/-
2019-20	1,40,311/-
2020-21	25,38,659/-

*****